

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 1978/श्रावण 9, 1900
No. 224] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 1978/SRAVANA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1978

सां०का०नि० 389 (अ).—वत्सपति तेल उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 1947 के खण्ड 4 के उप-
खण्ड (1) तथा खण्ड 4ख के उपखण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
के वत्सपति तेल उत्पाद नियंत्रक, भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता
मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) के आदेश सं० सां०का०नि० 86 (अ)
तारीख 23 फरवरी, 1973 में और संशोधन क्रम 5 विभिन्न विधिविहित आदेश करते
हैं, अर्थात्—

उक्त आदेश में, सारणी में,—

(क) सब संख्या 1 और 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

1	2	3	4
1. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सप्लाई किया गया आयातित वनस्पति तेल	सभी क्षेत्र	80	त्रैमासिक आधार पर
2. बिनीले का तेल, नाइजर सीड तेल, देशी सोयाबीन का तेल, धान की भूसी का तेल, मकई (मक्का) का तेल, तरबूज के बीज का तेल, देशी सूरजमुखी के बीज का तेल, महुए का तेल, कुसुम (साफ़लवार) के बीज का तेल	सभी क्षेत्र	15	त्रैमासिक आधार पर

2. यह आदेश 1 अगस्त, 1978 को प्रवृत्त होगा।

[सं० 9-वीपी० (4)/77]

टी० बालकृष्णन, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1978

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4-B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following order further to amend the order of the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Department of Civil Supplies and Cooperation) No. G.S.R. 86(E) dated the 28th February, 1978, namely :—

In the said Order, in the table,

(a) for item numbers 1 and 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4
1. Imported vegetable oils supplied through the State Trading Corporation.	All regions	80	Quarterly basis.
2. Cotton seed oil, nigerseed oil, indigenous soyabean oil, ricebran oil, maize (corn) oil, watermelon seed oil, indigenous sunflower seed oil, mahua oil, safflower seed oil.	All regions	15	Quarterly basis.

2. This Order shall come into force on the 1st August, 1978.

[No. 9—VP (4)/77]

T. BALAKRISHNAN, Vegetable Oil Products Controller of India